उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शनिवार, 11 चैत्र, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 24 मार्च, 2018)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. संसदीय कार्य मंत्री, "उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018" पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

2. संसदीय कार्य मंत्री, "उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018" को पुरःस्थापित करेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

4. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन), विधेयक, 2018" पर विचार किया जाय।

5. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड पुलिस (संशोधन), विधेयक, 2018" पारित किया जाय।

6. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018" पर विचार किया जाय।

7. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018" पारित किया जाय।

8. आबकारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), विधेयक, 2018" पर विचार किया जाय।

9. आबकारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन), विधेयक, 2018" पारित किया जाय।

10. सिचाई एवं बाढ नियंत्रण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन), विधेयक, 2018" पर विचार किया जाय।

11. सिचाई एवं बाढ नियंत्रण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि "उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन), विधेयक, 2018" पारित किया जाय।

12. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय।

13. संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, विधेयक, 2018'' पारित किया जाय।

14. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय।

15. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय।

16. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय।

17. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय।

18. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय।

19. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2018 पारित किया जाय।

20. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

21. उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय।

22. पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय।

23. पशु पालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन विधेयक, 2018'' पारित किया जाय।

24. पर्यटन मंत्री, ''उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय।

25. पर्यटन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018'' पारित किया जाय।

26. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पर विचार किया जाय।

27. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि ''उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन), विधेयक, 2018'' पारित किया जाय।

28. कार्यमंत्रणा समिति की दिनांक 13 मार्च, 2018 एवं अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गयी घोषणा के अनुक्रम में 'सतत् विकास लक्ष्य' पर चर्चा। (दो घंटा)

29. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।'' (30 मिनट)

30. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देव भूमि की कल्पना साकार होगी।'' (30 मिनट)

31. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।'' (30 मिनट)

32. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।'' (30 मिनट)

33. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-

''देहरादून-मसूरी-सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग को नगुण तक तथा देहरादून-मसूरी-कैम्टीफाल-यमुनापुल-नौगांव-बड़कोट-जानकीचट्टी मोटर मार्ग को आलवैदर रोड परियोजना में सम्मिलित किया जाये।'' (30 मिनट)

34. श्री धन सिंह नेगी सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा:-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व दैवीय आपदा से मारे गये लोगों के आश्रितों को एकमुश्त एक समान धनराशि का प्राविधान होना चाहिए।" (30 मिनट)

35. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय, एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय।" (30 मिनट)

36. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में अन्य प्रदेशों की भांति उत्तराखण्ड के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को यह यात्रा निःशुल्क कराने पर विचार किया जाय।" (30 मिनट)

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जायें।" (30 मिनट)

38. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा-

"प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भांति किसानों का ऋण माफ कर दिया जाय।" (30 मिनट)

आज्ञा से,

देहरादून :

दिनांक : 23 मार्च, 2018

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।